

संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़

इंद्रावती भवन, ब्लॉक - 4, प्रथम तल, अटल नगर जिला-रायपुर, पिन - 492002

Phone : 0771-2331345

E-mail id - ttcetraipur@gmail.com

क्रमांक/संरोप्र/एफि./एनओसी/2023/

522

/अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 25/04/2023

प्रति,

संचालक/प्राचार्य

इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेस प्राइवेट आईटीआई

गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ.ग)

विषय :- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

- संदर्भ :- 1. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय महानिदेशालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक DGT-Af011(51)/3/2022-O/o DIR(TC) दिनांक 24.03.2023
2. आपका पत्र क्रमांक 128 दिनांक 21.04.2023

-000-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंसेस प्राइवेट आईटीआई गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ.ग) द्वारा नवीन ट्रेड क्रमशः कोपा, विद्युतकार एवं स्टेनो हिन्दी प्रारंभ करने के लिये निम्नी पोर्टल पर आवेदन करने हेतु NOCकी मांग की गई है। आवेदन पत्र के साथ श्रीमति दुर्गा देवी स्मृति सेवा समिति जिला रायपुर (छ.ग.) के पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की गई है।

अतः महानिदेशालय प्रशिक्षण नई दिल्ली द्वारा जारी आईटीआई हेतु एफिलियेशन नॉर्स 2018 की कंडिका 1.2 के प्रकाश में निम्नी पोर्टल पर सत्र 2023-24 में नवीन ट्रेड प्रारंभ करने के लिये प्रचलित संबद्धता नॉर्स का पालन करते हुये, संबद्धता प्राप्त हेतु ऑन लाइन आवेदन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र ऑन लाइन आवेदन करने हेतु दिया जा रहा है। यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का यह आशय नहीं कि आपके द्वारा वांछित ट्रेड/यूनिट्स को एफिलियेशन प्राप्त हो जायेगा।

संचालक

रोजगार एवं प्रशिक्षण

छत्तीसगढ़

क्रमांक/संरोप्र/एफि./एनओसी/2023/ 523

/अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 25/04/2023

प्रतिलिपि :-

1. श्री उज्ज्वल विश्वास, निदेशक (टीसी), कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, महानिदेशालय नई दिल्ली, एम्प्लायमेंट एक्सजेन्ज बिल्डिंग, लार्डब्रेरी एवेन्यू पूसा, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. निदेशक, क्षेत्रीय निदेशालय (कौशल विकास एवं उद्यमिता) ए-विंग, द्वितीय तल, केन्द्रीय सचिवालय भवन, सेक्टर 24, अटल नगर नवा रायपुर-492109 छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण), क्षेत्रीय कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ रायपुर को उनके पत्र क्रमांक 359 दिनांक 24.04.2023 के तारतत्य में सूचनार्थ।

संचालक

रोजगार एवं प्रशिक्षण

छत्तीसगढ़